कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर (म.प्र.)

(प्रथम तल, ई-पंजीयन भवन, धनवंतरी नगर, आं.मू.आ., जबलपुर)

Email – digrjabalpur.mplgra@mp.gov.in

क्रमांक 201 /उ.म.नि.पं./2023 जबलपुर, दिनांक 01/05/2023

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक
जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग (म.प्र.)

कार्यालय
कलेक्टर छिंदवाड़ा
01 MAY 2023
पी.ए.

विषय:- उप पंजीयकों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन हेतु अनावश्यक दस्तावेजों (पटवारी प्रतिवेदन/पर्ची) की मांग के संबंध में।

===0===

उपरोक्त विषयक लेख है कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि परिक्षेत्र जबलपुर के कतिपय उप पंजीयकों द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का पंजीयन पटवारी प्रतिवेदन/पर्ची के आधार पर किया जाता है, जो कि विधिसंगत नही है।

म.प्र. पंजीयन अधिनियम 1908 एवं पंजीयन नियम 1939 यथासंशोधित दिनांक 27/10/2016 की धारा 19 व 35 में दस्तावेजों के पंजीयन हेतु पटवारी प्रतिवेदन/पर्ची की आवश्यकता को अनिवार्य नही माना गया है। पटवारी प्रतिवेदन/पर्ची की अनावश्यक मांग करने से आम आदमी का शोषण होता है एव वे परेशान होते है, शासन का राजस्व भी उप पंजीयकों के इस कृत्य के कारण बाधित होता है। दस्तावेजों के पंजीयन के समय दस्तावेज के संलग्न प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा जारी खसरा एवं सत्यापित नक्शा ही स्वयं अपने आप में एक सम्पूर्ण दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त भी उप पंजीयकों को यदि संदेह है कि पक्षकार द्वारा उन्हे सही जानकारी प्रदाय नही की जा रही है, तो वे नियमानुसार उस दस्तावेज को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की ओर प्रेषित कर सकते है।

अत: आपके अधीनस्थ उप पंजीयकों को पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशित करें कि उनके समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का स्टाम्प अधिनियम, पंजीयन अधिनियम, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत, उपबंध आदि का नियमानुसार पालन कर पंजीयन करें एवं शासन को अधिक से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त करने में सहयोग प्रदाय करें । अनावश्यक दस्तावेजों की मांग कर आम-जनता को परेशान न किया जायें साथ ही शासन का राजस्व भी बाधित न करे।

(प्रभाकर चतुर्वेदी)
उप महानिरीक्षक पंजीयन
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

पृ.क्रमांक 202/उ.म.नि.पं./2023 जबलपुर, दिनांक 01/05/2023

प्रतिलिपि –
1. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप महानिरीक्षक पंजीयन
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

कार्यालय
कलेक्टर छिंदवाड़ा
01 MAY 2023
पी.ए.